रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 25, 1988/फाल्गुन 6, 1909
No. 112] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 1988/PHALGUNA 6, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मन्त्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त का कार्यालय (भेषजिक उद्योग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1988

का.आ. 207(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उप पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तम्भ 5 में यथा विनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रवर्ग I के सूत्रयोग की, जिनकी प्रबलता और पैक

आकार क्रमशः उसके स्तम्भ 3 और स्तम्भ 4 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों मे विनिर्दिष्ट है, अधिकतम कीमत, जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हों, सम्मिलित नहीं हैं, नियत करती है :—

सारणी

क्रम सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक का आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
1.	डाइएथिल कार्बामाजिन सिट्रेट टिकियां	50 मि.ग्रा./टिकिया	10 का पत्ता	0.82
2.	डाइएथिल कार्बामाजिन सिट्रेट टिकियां	50 मि.ग्रा./टिकिया	1000 की बोतल	34.86
3.	डाइएथिल कार्बामाजिन सिट्रेट टिकियां	100 मि.ग्रा./टिकिया	10 का पत्ता/बोतल	1.00
4.	डाइएथिल कार्बामाजिन सिट्रेट टिकियां	100 मि.ग्रा./टिकिया	1000 की बोतल	53.60

[सं. 8(27)/87-पीआई-II]

आर.एस. माथुर, संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (पी.आई.)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER

(Pharmaceutical Industry)

ORDER

New Delhi, the 25th February, 1988

S.O. 207(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 5 of the Table below as the ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the

Category I formulations specified in corresponding entry in column 2 of the said Table, with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns 3 and 4 thereof :

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
1	2	3	4	5
1.	Diethyl Carbamazine Citrate Tablets	50 mg/Tablet	10's Strip/ Bottle	0.82
2.	Diethyl Carbamazine Citrate Tablets	50 mg/Tablet	1000's Bottle	34.86
3.	Diethyl Carbamazine Citrate Tablets	100 mg/Tablet	10's Strip/ Bottle	1.00
4.	Diethyl Carbamazine Citrate Tablets	100 mg/Tablet	1000's Bottle	53.60

[No. 8(27)/87-PI(II)]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (PI)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988